संख्या 317/2025/928/41-1-2025-सी0एन0-1796736-2024

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
पर्यटन, उ०प्र०, तखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 27 मार्च, 2025

विषय-उ0प्र0 पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

महानिदेशक, पर्यटन उ०प्र० द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष 5452801040800-मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास मद के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत कार्य योजनान्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के आगणन प्रेषित करते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास योजनान्तर्गत निम्नलिखित परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में निम्नवत सारणी के अनुसार कुल रू0 25.00 लाख (रू० पच्चीस लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू० लाख में)

क्र0सं0	कम्प्यूटर संख्या	महानिदेशक का पत्र संख्या दिनांक	कार्य का नाम	नामित कार्यदायी संस्था	परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति टी0एस0जी)0	प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि	विशिष्ट शर्तें
)1(	)2(	)3(	)4(	)5(	)6(	)7(	)8(
1	1912720	109-45/6-1-1(05)/2024-25. दिनांक 22 मार्च, 2025	जनपद सखनऊ के विधानसभा क्षेत्र सरोजनी नगर स्थित तथागत बुद्ध विहार का पर्यटन विकास कार्य।	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि०	75.10	1.00	गेट की डिजाईन बदिए आर्किटेक्ट पर आधारित हो। फसाड ट्रीटमेट अजून कराया जाये।
2	1912805	10945/6-1-1105)/2024-25. दिनांक 22 मार्च, 2025	जनपद बस्ती के ग्राम परिकारपुर हरेया परमहंस धाम मंदिर का पर्यटन विकास कार्य।	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि०	94.50	1.00	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र त्रिपक्षीय अनुबंध, 26 विन्दुओं की सूचना एवं रख-रखाव हेतु खाता पर्यटक अधिकारी बस्ती द्वारा उपलब्ध करामा जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

							उपरोक्त प्रपत्रों को उपलब्ध कराये जाने के पक्षात ही कार्य प्रारंभकराया जायेगा।
3	1912555	10945/6-1-1(05)/2024 25. दिनांक 22 मार्च, 2025	जनपद बलिया में स्थित ग्राम खराहातर में शिव मंदिर का पर्यटन विकास कार्य।	उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लि०	79.80	1.00	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, त्रिपक्षीय अनुबंध एवं रखरखाव हेतु - बैंक खाता उप निदेशक पर्यटन, गोरखपुर द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
4	1912301	10980/6-1-1(05)/2024-25. दिनांक 21 मार्च, 2025	जनपद बहराइच में ग्राम इमलियागंज पयागपुर में गायबगीर बाबा सिद्ध बाबा परिसर परिसर का पर्यटन विकास कार्य।	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0	75.00	1.00	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, त्रिपक्षीय अनुबंध एवं रखरखाव हेतु - बैंक खाता उप निदेशक पर्यटन, गोरखपुर द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
5	1912364	10980/6- 1 1/05)/ 2024 25. दिनांक 21 मार्च, 2025	जनपद गोण्डा में स्थित तिरे मनोहरपुर (तिरे मनोरमा) मंदिर रूपाईडीह मेहनौन का पर्यटन विकास कार्य।	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0	75.00	1.00	त्रिपक्षीय अनुबन्ध पड 26-बिन्दुओं की सूचना एवं रख-रखाव हेतु बैंक खाता उप निदेशक, पर्यटन सखन ऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चा त ही परियोजना के कार्य प्रार किया जायेगा।
6	1912017	10980/6- 1 1/05)/ 2024 25. दिनांक 21 मार्च, 2025	जनपद बाँदा के ग्राम सोहना गंछा विकास खंड बड़ोखर	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0	92.30	1.00	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, त्रिपक्षीय

http://shasanadesh.up.gov.in

			खुर्द तहसील बाँदा सदर में सिद्ध बाबा स्थान का पर्यटन विकास कार्य।				अनुबंध एवं रखरखाव हेतु - बैंक खाता उप निदेशक पर्यटन, गोरखपुर द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
7	1912037	10980/6- 11/05)/ 2024 25. दिनांक 21 मार्च, 2025	जनपद हरदोई केक नैमिषारण्य की कोसी 84 परिक्रमा मार्ग पर ग्राम साखिन में र मंदिर संखेश्व परिसर के पर्यटन विकास कार्य।	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0	86.00	1.00	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, त्रिपक्षीय अनुबंध एवं रखरखाव हेतु - बैंक खाता उप निदेशक पर्यटन, गोरखपुर द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
8	1911984	10980/6- 11/05)/ 2024 25. दिनांक 21 मार्च, 2025	जनपद हरदोई ग्राम संगोचामऊ स्थित संत महात्मा श्री तुलाराम बाबा देव स्थान के पर्यटन विकास कार्य।	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0	74.61	1.00	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, त्रिपक्षीय अनुबंध एवं रखरखाव हेतु - बैंक खाता उप निदेशक पर्यटन, गोरखपुर द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
9	1912003	10980/6- 11/05)/ 2024 25. दिनांक 21 मार्च, 2025	जनपद अमरोह के वि 0ख0 हसनपुर में होली मोहल्ला बाबा स्थित शिवाला मंदिर परिसर का पर्यटन विकास कार्य।	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0	61.10	1.00	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, त्रिपक्षीय अनुबंध एवं रखरखाव हेतु - बैंक खाता उप निदेशक पर्यटन, गोरखपुर द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
10	1912327	10980/6- 11/05)/ 2024 25. दिनांक 21 मार्च, 2025	जनपद उन्नाव के वि 0ख0 सफीपुर में तेलाही माता मंदिर का पर्यटन विकास कार्य।	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0	74.90	1.00	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, त्रिपक्षीय अनुबंध एवं रखरखाव हेतु - बैंक खाता उप निदेशक

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

							पर्यटन, गोरखपुर द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
11	1912304	10980/6- 1 1/05)/ 2024 25. दिनांक 21 मार्च, 2025	जनपद लखनऊ के अलीगंज में रेदास मंदिर का पर्यटन विकास कार्य।	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0	464.55	1.00	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, त्रिपक्षीय अनुबंध एवं रखरखाव हेतु - बैंक खाता उप निदेशक पर्यटन, गोरखपुर द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
12	1912666	10945/6- 1 1/05)/ 2024 25. दिनांक 21 मार्च, 2025	जनपद झांसी में बुद्ध बिहार जिला में उपलीराजगृह का पर्यटन विकास कार्य।	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0	73.00	1.00	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, त्रिपक्षीय अनुबंध एवं रखरखाव हेतु - बैंकखाता उप निदेशक पर्यटन, गोरखपुर द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
13	1912666	10945/6- 1 1/05)/ 2024 25. दिनांक 21 मार्च, 2025	जनपद कानपुर नगर में वि 0स0 सीसीमऊ क्षेत्र र्गत के अन्त राम कृष्ण मन्दिर का पर्यटन विकास कार्य।	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0	50.30	1.00	भू अभिलेख-सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, त्रिपक्षीय अनुबंध एवं रखरखाव हेतु - बैंक खाता उप निदेशक पर्यटन, गोरखपुर द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
14	1912728	10945/6- 1 1/05)/ 2024 25. दिनांक 21 मार्च, 2025	जनपद प्रयागराज में श्री नर्मदेश्वर शिव मंदिर का उमापुर नीवा का पर्यटन विकास कार्य।	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0	99.99	1.00	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, त्रिपक्षीय अनुबंध एवं रखरखाव हेतु - बैंक खाता उप निदेशक पर्यटन, गोरखपुर द्वारा उपलब्ध कराया

http://shasanadesh.up.gov.in

							जायेगा।
15	1912747	10945/6- 1 1/05)/ 2024 25. दिनांक 21 मार्च, 2025	जनपद फतेहपुर स्थित रजाशेष बाबा मन्दिर का पर्यटन विकास कार्य।	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0	72.10	1.00	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, त्रिपक्षीय अनुबंध एवं रखरखाव हेतु - बैंक खाता उप निदेशक पर्यटन, गोरखपुर द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
16	1912770	10945/6- 1 1/05)/ 2024 25. दिनांक 21 मार्च, 2025	जनपद सुलतानपुर में वेंसाइड - ऐमिनिटी का कार्य।	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0	121.90	1.00	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, त्रिपक्षीय अनुबंध एवं रखरखाव हेतु - बैंक खाता उप निदेशक पर्यटन, गोरखपुर द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
17	1912817	10945/6- 1 1/05)/ 2024 25. दिनांक 21 मार्च, 2025	जनपद कानपुर नगर में मसवान पुर स्थित शिव मंदिर और राधा कृष्ण- का पर्यटन विकास कार्य।	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0	40.60	1.00	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, त्रिपक्षीय अनुबंध एवं रखरखाव हेतु - बैंक खाता उप निदेशक पर्यटन, गोरखपुर द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
18	1912759	10945/6- 1 1/05)/ 2024 25. दिनांक 21 मार्च, 2025	जनपद फतेहपुर ग्राम पंचायत खेरिला सिजौली जहानाबाद में स्थित पासी बाबा मंदिर के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य।	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0	99.28	1.00	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, त्रिपक्षीय अनुबंध एवं रखरखाव हेतु - बैंक खाता उप निदेशक पर्यटन, गोरखपुर द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
19	1912420	10945/6- 1 1/05)/ 2024 25. दिनांक 21	जनपद कानपुर नगर विकास खण्ड	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास	74.10	1.00	भू अभिलेख- सोसाइटी रजिस्ट्रेशन

http://shasanadesh.up.gov.in

		मार्च, 2025	भीतरगाँव स्थित बिहारी जी मंदिर का पर्यटन विकास कार्य।	निगम लि0			प्रमाण पत्र, त्रिपक्षीय अनुबंध एवं रखरखाव हेतु - बैंक खाता उप निदेशक पर्यटन, गोरखपुर द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
20	1912723	10945/6- 1 1/05)/ 2024 25. दिनांक 21 मार्च, 2025	जनपद ललितपुर में ग्राम पंचायत मसौरा कला स्थित बिहारी जी मन्दिर, सिद्धबाबा मंदिर एवं देहरें बाबा मंदिर का पर्यटन विकास कार्य।	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0	109.10	1.00	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, त्रिपक्षीय अनुबंध एवं रखरखाव हेतु - बैंक खाता उप निदेशक पर्यटन, गोरखपुर द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
21	1912885	10938/6- 1 1/05)/ 2024 25. दिनांक 21 मार्च, 2025	जनपद मऊ के विमधुबन 0ख0 के ग्राम दुआरी दुआरी में पोस्ट स्थित श्री वीरा बाबा ब्रम्ह् न का स्था पर्यटन विकास कार्य।	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0	55.10	1.00	त्रिपक्षीय अनुबन्ध पड 26-बिन्दुओं की सूचना एवं रख-रखाव हेतु बैंक खाता उप निदेशक, पर्यटन सखन ऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चा त ही परियोजना के कार्य प्रार किया जायेगा।
22	1912839	10938/6- 1 1/05)/ 2024 25. दिनांक 21 मार्च, 2025	जनपद बदायूँ के वि0स 0 के ग्राम बिल्सी सिसरौल जसा 0ख0वि अम्बियापुर में खेरे वाली माता मंदिर का पर्यटन विकास कार्य।	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0	74.81	1.00	---
23	1912878	10938/6- 1 1/05)/ 2024 25. दिनांक 21	जनपद बलिया की तहसील सिकन्दरपुर के	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास	56.30	1.00	पक्षीयअनुबन्ध सोसाइटी रजिस्ट्रेशन

http://shasanadesh.up.gov.in

		मार्च, 2025	ग्राम कठौडा में भगवान श्री कृष्ण कृपा धाम का पर्यटन विकास कार्य।	निगम लि0			प्रमाण पत्र, त्रिपक्षीय अनुबंध एवं रखरखाव हेतु - बैंक खाता उप निदेशक पर्यटन, गोरखपुर द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
24	1912168	10938/6- 1 1/05)/ 2024 25. दिनांक 21 मार्च, 2025	जनपद बाराबंकी में अवसानेश्वर महादेव मंदिर का पर्यटन विकास कार्य।	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0	62.86	1.00	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, त्रिपक्षीय अनुबंध एवं रखरखाव हेतु - बैंक खाता उप निदेशक पर्यटन, गोरखपुर द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
25	1912969	10938/6- 1 1/05)/ 2024 25. दिनांक 21 मार्च, 2025	जनपद बाराबंकी के तहसील रामसनेही घाट के ग्राम सिल्हौर स्थित श्री ललेश्वर शिव मंदिर आश्रम का पर्यटन विकास कार्य।	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0	102.59	1.00	सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, त्रिपक्षीय अनुबंध एवं रखरखाव हेतु - बैंक खाता उप निदेशक पर्यटन, गोरखपुर द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
					कुल योग	25.00	

(1) प्रश्नगत प्रायोजना पर नियमानुसार धनराशि व्यय/आवंटन करने से पूर्व महानिदेशक कार्यालय द्वारा संबंधित जिलाधिकारी की संस्तुति/सहमति प्राप्त कर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया लागू की जायेगी। ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया में आईण्टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-3/2017/1067/78-2-2017-42 आईटी/2017, दिनांक 12.05.2017 एवं समय-समय पर निर्गत शासन के अन्य आदेशों/निर्देशों में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण। सक्षम लोकत अधोरिटी से सीकृत करा लिया जायेगा तथा नियमानुसार विभिन्न संस्थाओं से समस्त आवश्यक वैधानिक अनापतियों एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स एवं सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओं/ विभागों/ प्राधिकरणों आदि से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत कार्य पर धनराशि का नियमानुसार व्यग टेण्डर लागत के आधार पर वास्तविक रूप से किया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष बनती है तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ विज्ञीय हरुा पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर 318 में वर्णित व्यवस्थानुसार

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

प्रायोजना पर सक्षम सार के तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा उस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही प्रायोजना के निर्माण हेतु दूसरी किश्त निर्गत की जायेगी।

(6) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्तआप व्ययक अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या-2/2024/बी 1 294/दस-2024 231/2024, दिनांक 04.03.2024 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित्त लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि चार्जेज नहीं दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(7) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी०एस०टी०) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतानके अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी०एस०टी० भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र जी०एस०टी० इन्वायस एवं धनराशि के भुगतान का पूर्ण प्रमाणित विवरण सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(8) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कार्य की आवश्यकता से अधिक धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

(10) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(11) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तानुसार स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पडें।कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(13) अवमुक्त की जा रही धनराशिका आहरण एवं आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा। कार्यद्वारा धन पर दि अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोपाइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को कार्य की आवश्यकता एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ता के अनुसार सम्यक परीक्षण करने के पश्चात ही अवमुक्त की जाय तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं विधि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(15) प्रायोजना में स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूवना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(16) कार्य की विशिष्टियों, मानक एवं गुणवत्ता आदि की पूर्ण जिम्मेदारी महानिदेशक, पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय। इसके लिए परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्रायोजना का पर्टचार्ट कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

(17) प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भूमि की वैधानिक उपलब्धता सुनिश्चित करा ली जायेगी तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापतियों एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/ नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) सोलर लाइट/सौर ऊर्जा से सम्बन्धित लाइटों/उपकरणों का क्रय उ० प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) से नियमानुसार क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) प्रायोजनान्तर्गत निहित विशिष्टि प्रकार की लाइट फिटिंग्स एवं फिक्चर्स, जो बाजार दरों/कोटेशन पर आधारित हैं, की दरों को न्यूनतम एवं वास्तविक दरों पर कराये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था का होगा।

(20) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित बाट आउट आइटम के कार्यों हेतु पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(21) प्रायोजनान्तर्गत सेंटेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबन्धन के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(22) परियोजनान्तर्गत बाट आउट आइटम्स पर पर्यटन अनुभाग 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2764/41-1-2024-सी०एन० 1864107/2024 दिनांक 07 नवम्बर, 2024 द्वारा गठित कय समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(23) परियोजना के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट एक पक्ष के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में उक्त कृत्य की अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक/अपर परियोजना प्रबन्धक एवं ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ० आई०आर०) दर्ज कराने की कार्यवाही पर्यटन निदेशालय/सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/उपनिदेशक, पर्यटन द्वारा की जायेगी।

3 - इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 25.00 लाख (रू० पच्चीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 044 लेखा शीर्ष 5452801040800 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास मानक मद-24 बृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्तआय-व्ययक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-2/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रथशासकीय विभाग को उक्तवत प्राविधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदेव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ/बस्ती /बलिया/बहराइच/गोण्डा/बाँदा / हरदोई/अमरोहाउन्नाव झांसी/कानपुर/ /फतेहपुर /सुलतानपुर/ललितपुर/मऊ/बदायूँ/बाराबंकी मनपुर प्रयागरा
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०, लखनऊ ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०, लखनऊ ।
8. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी (राज्य योजना), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक 4, 5, 6, 7, 8 व 10 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
10 संबंधित उप निदेशक, पर्यर्टन/क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, पर्यटन।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
12. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।